न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 249/2018

जी.सी.एम.एस. :: 2018/00313

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन, जिला पाली		1. जीवनसिंह पुत्र गेनसिंह जाति रावत निवासी मायली सिरीयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. किशनसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावत निवासी मायली सिरीयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम सिरीयारी के खसरा संख्या 609/1 रकबा 0.0232 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम सिरीयारी के पुराने खसरा संख्या 176, 177, 240, 241 से नवीन खसरा संख्या क्रमशः 609, 610, 698, 699 जो कि डोली भूमि के रूप में दर्ज थे और तत्कालीन पुजारी नारायण दास के फौत हो जाने पर उक्त भूमि के फौतेदगी नामान्तरकरण के कारण जैर आराजी उनके वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इसके पश्चात् नारायणदास द्वारा जीवनसिंह पुत्र गेनसिंह कौम रावत राजपुत को बेचान करने से नामान्तरकरण संख्या 932 के द्वारा खसरा संख्या 609/1 रकबा 0.0232 हैक्टेयर किस्म चा.प्र. जीवनसिंह के पक्ष में खातेदारी के रूप में दर्ज हुई। इसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर आराजी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 2 को पक्ष में कर दिया।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की

अति. जिला कलेक्टर पाली

स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर डोली भूमि के विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत नामान्तरकरण 156 एवं उसके पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 932, 985, 2049 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम सिरीयारी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 609/1 रकबा 0.0232 हैक्टेयर भूमि किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ वर्तमान में किशनसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। ग्राम सिरीयारी के खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार पुराने खसरा संख्या 176, 177, 240, 241 से नवीन खसरा संख्या क्रमशः 609, 610, 698, 699 बने तथा उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर चारभुजा महाराम के बाल भोग वाके देह पुजारी रणछोड़ दास वल्द मोतीदास 1/2 हिस्सा पोकरदास वल्द लिछमणदास कोम साद सा. देह डोलीदार दर्ज थी। जैर आराजी के पुजारी पोकरदास वल्द लिछमणदास साद व नाजु बेवा रणछोड़दास जाति साद के फौत होने से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 156 के जरिये जैर आराजी उनके वारिसान नारायणदास पुत्र पोकरदास कौम साद को राजस्व रेकर्ड दर्ज हुई और खसरा संख्या 609, 698, 610, 699 में उन्हें बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त जैर आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 778 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि जैर आराजी पूर्व में डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजाजी महाराज के बालयोग वाके देह दर्ज है। खसरा संख्या 609 के खातेदार नारायणदास पुत्र पोकरदास कौम साद द्वारा जैर आराजी के रकबे 0.0232 हैक्टेयर भूमि का बेचाण जीवनसिंह पुत्र गेनसिंह कौम रावत राजपुत के पक्ष में करने से नामान्तरकरण संख्या 932 के द्वारा खसरा संख्या 609/1 रकबा 0.0232 हैक्टेयर किस्म चा.प्र. जीवनसिंह के पक्ष में खातेदारी के रूप में दर्ज हुई। उक्त भूमि खातेदार द्वारा आवासीय आबादी प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवाई गई, जो नामान्तरकरण संख्या 985 के द्वारा आवासीय आबादी का नामान्तरकरण दर्ज किया गया। तत्पश्चात् जैर आराजी के तत्कालीन खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि का बेचाण अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया, जिसकी पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 2049 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.क.–3(2)राज.6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 से भी यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि मन्दिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के तहत किया गया है। जिनके अनुसार ऐसी भूमियों पर जागीर अधिग्रहण के समय काबिज व्यक्ति को खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार दिये गये है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 9 की टिप्पणी के अनुसार किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुदकाश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम छोगाराम, 2006(2) आर.आर.डी. 737 तथा मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज लानवा बनाम फतहलाल वह अन्य, 2005 आर.आर.डी. 771 में यह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अभिनिर्धारित किया कि मूर्ति मंदिर शाश्वत अप्राप्तवय होने से उसकी भूमि पर कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी भूमि पर अप्रार्थी का नाम दर्ज करने का आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः भूमि को पुनः मूर्ति मंदिर की खातेदार (डोली) में दर्ज किया जाने का आदेश दिया गया। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त स्टेट बनाम हनुमानदास, 2000 आर.आर.डी. 229 में यह प्रतिपादित किया कि देव मूर्ति शाश्वत अप्राप्तवय होने से उसके पुजारी को खातेदार नहीं बनाया जा सकता और ऐसा पुजारी और उससे खरीदने वाला भी पुजारी ही रहेगा। यदि पुजारी से खरीददार के नाम नामान्तरकरण हो भी गया हो तो उसे हटा दिया जायेगा और खरीददार भी पुजारी की भाँति काश्त करेंगे।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में श्रृखलाबद्ध न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान स्टेट बनाम रामनारायण, 2004 आर.आर.डी. 798, राजस्थान स्टेट बनाम मानदास, 2003(2) आर. आर.टी. 1129 में यह स्पष्ट किया कि जहाँ मंदिर की भूमि को पुजारी के दत्तक पुत्र ने अप्रार्थियों को विक्रय के द्वारा अन्तरित कर दिया जाना और उनके नाम खातेदार के रूप में नामान्तरकरण भी स्वीकृत कर दिया जाना, गलत है क्योंकि विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित करने के लिए पुजारी हकदार ही नहीं था, वहाँ भूमि पुनः मंदिर की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। इसके अतिरिक्त आर0आर0डी0 1994 रामप्रताप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यह प्रतिपादित किया कि देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से उसके नाम कृषि भूमि उसकी व्यक्तिगत कृषि भूमि मानीं जावेगी। ऐसा ही आर0आर0डी0 1996 पेज 181 राज्य बनाम मुकनाराम में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवैद्य रूप से खातेदार दर्ज व्यक्ति देव मूर्ति की भूमि का खातेदार नही हो जाता है। आर0आर0डी0 1979 पेज 7 माधो बनाम नन्दलाल में प्रतिपादित किया कि किसी देवमूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही मिल सकते, चाहे काश्तकार का कब्जा बन्दोबस्त के समय पर रहा हो। चूंकि देवमूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त दर्ज है, जिसका किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मन्दिर की भूमि का अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि मौजा सिरीयारी के खसरा संख्या 609/1 के सम्बन्ध में स्वीकृत नामान्तरकरण 932 दिनांक 21.05.2000 एपं पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 985 एवं 2049 को निरस्त करते हुए जैर आराजी पुनः भूमि डोली बनाम मंदिर चारभुजा महाराम दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली